आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद सं0–24 / 2021

श्री सत्यदेव प्रसाद

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
1	2	3
20.02.2023	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJCNo.–1153 / 2018 में दिनांक–04. 02.2021 को पारित आदेश के आलोक में श्री सत्यदेव प्रसाद, तत्कालीन नाजिरसम्प्रति सेवानिवृत, प्रखंड मधुबन, पूर्वी चम्पारण द्वारा यह अपील दायर की गयी है। जिलापदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला श्री सत्यदेव प्रसाद, तत्कालीन नाजिर सम्प्रति सेवानिवृत, प्रखंड मधुबन, पूर्वी चम्पारण पर लगाये गये आरोप पर लिये गये निर्णय से संबंधित है। अभिलेखके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मधुबन प्रखंड में इंदिरा आवास के वितरण में हुई अनियमितता की जाँच वरीय उप समाहर्त्ता के अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा की गई। जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबन के पत्रांक 916 दिनांक 05.09.2012 द्वारा अनियमितता हेतु जिम्मेवार श्री सत्यदेव प्रसाद, तत्कालीन नाजिर एवं दो अन्य कर्मियों के विरूद्ध मधुबन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के आदेश ज्ञापांक 899 दिनांक 03.11.2012 द्वारा श्री प्रसाद एवं अन्य दो कर्मी को निलंबित कर मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, चकिया निर्धारित किया गया। साथ ही आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, फेनहारा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं रहने, गठित आरोप की विवेचना नियमानुसार नहीं होने, न्यायालय में साक्ष्य के आधार	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पर आरोप पत्र दाखिल हो जाने एवं राजकोष की राशि के सन्निहित होने के कारण विभागीय कार्यवाही के पुनः संचालन की आवश्यकता महसुस की गई। पूर्व में गठित प्रपत्र 'क' के अतिरिक्त इन पर दो नए आरोप गठित किये गये। विभागीय कार्यवाही के पुनः संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबन को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री सत्येन्द्र प्रसाद, तत्कालीन नाजिर के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप लगाये गये थे :–

(i) मधुबन प्रखंड का इन्दिरा आवास योजना से संबंधित खाता भारतीय स्टेट बैंक, मधुबन खाता सं0–11778939759 संधारित है। इस खाता में सिर्फ इन्दिरा आवास की राशि न रखकर अन्य मदों की राशि आपके द्वारा रखी गयी है जो सरकारी प्रावधान के अनुकूल नहीं है। आपके द्वारा नियमों की अनदेखी कर रोकड़ का रख–रखाव किया गया है।

(ii) आपके द्वारा इन्दिरा आवास योजना की रोकड़ पंजी दिनांक–31.10.2011 से दिनांक–31.03.2012 तक लिखा गया है। परन्तु रोकड़ पंजी पर प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं कराया गया है, जो आपके लापरवाही का द्योतक है।

(iii) आपके द्वारा इन्दिरा आवास योजना की रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2012 को अवशेष राशि 5,75,94,615/– रूपया दर्शाया गया है, जबकि बैंक विवरणी के अनुसार दिनांक–27.02.2012 को उक्त खाते में 5,01,90,698/– रूपया ही अवशेष है। जो गबन का मामला बनता है।

(iv) ग्राम पंचायत दुमला में इन्दिरा आवास के जिन लाभुकों का वस्तुतः राशि का भुगतान किया गया है, जो प्रखंड कार्यालय में संधारित अभिलेख एवं एडभाईस से तालमेल नहीं है।

(v) विभागीय निदेशानुसार इन्दिरा आवास के लाभुकों को कैम्प में पासबुक वितरण किया जाना था। कार्यालय द्वारा भेजे गए एडभाईस में अंकित नाम में हेरा–फेरी के कारण लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दर्ज पासबुक कैम्प में उपलब्ध नहीं कराया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–प्रभारी अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 15 दिनांक 27.01.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन जिला

WEB COPY NOT OFFICIAL

पदाधिकारी,पूर्वी चम्पारण को समर्पित किया गया, जिसमें आरोप सं0–2,3,4 एवं 5 प्रमाणित पाया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक 438 दिनांक 01.04.2019 द्वारा श्री सत्यदेव प्रसाद, तत्कालीन नाजिर सम्प्रति सेवानिवृत पर निम्न दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की गई :–

(1) तत्काल 25% पेंशन राशि पर रोक।

(2) न्यायिक कार्यवाही/वित्त विभाग से अंकेक्षन प्रतिवेदन प्राप्त होने तक उपादान की राशि पर रोक।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.–1153/2018 में दिनांक 05.12.2020 को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के आदेश ज्ञापांक 1285 दिनांक 11.12.2020 द्वारा अपीलकर्ता को उपादान की राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई एवं पेंशन से25 %कटौती से संबंधित अधिरोपित दंड यथावत रखा गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.–1153/2018 सत्यदेव प्रसाद बनाम बिहार सरकार एंव अन्य में दिनांक 04.02.2021 को पारित आदेश के आलोक में अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय में अपीलवाद दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है :–

"6. As a petitioner was before this court and had also filed an interlocutory Application to challenge the punishment order, which was also allowed, if there is any statutory period fixed for moving against the said punishment order before the authority concerned, in case the petitioner moves that from within one month from today, along with a copy of this order, the same shall be considered and a reasoned order shall be passed on merits, in accordance with law, without rejecting the same on the ground of it being filed beyond the time prescribed."

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण का आदेश तथ्यहीन एवं नियम के विरूद्ध है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

(ii) अपीलकर्ता के वजह से सरकार को किसी तरह की वित्तीय हानि नहीं हुआ है। अतएव 25 % पेंशन की राशि रोकना गलत है।

(iii) विभागीय कार्यवाही के दौरान अपीलकर्ता की सेवानिवृति हो गयी। प्रपत्र 'क' में वित्तीय हानि का आरोप नहीं है। अपीलकर्ता का मामला बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के अधीन नहीं आता। अतएव सेवांत लाभ एवं अन्य बकाये के भुगतान मे कोई बाधा नहीं है।

(iv) जिला पदाधिकारी के आदेश दिनांक 31.03.2019 में अंकित है कि ''अपीलकर्ता श्री प्रसाद द्वारा निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में न ही योगदान दिया गया और न ही वहाँ उपस्थित हुए। अतः निलंबन अवधि मेंजीवन–निर्वाह–भत्ता देय नहीं होगा।'' यह सत्य नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित मुख्यालय में योगदान दिया गया और कुछ समय बाद गंभीर रूप से बिमार पड़ने के कारण विशेष चिकित्सा में जाना पड़ा।

(v) अपीलकर्ता द्वारा सेवांत लाभ एवं अन्य बकाये के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया परन्तु इसपर विचार नहीं किया गया यह प्रतिवादी के मनमाने रवैया एवं नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन को दर्शाता है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध बहुत सारे प्रमाणित आरोप है, अपीलकर्ता द्वारा सरकारी राशि का गबन किया गया है, जिससे सरकार को क्षति उठानी पड़ी है। श्री प्रसाद का यह कृत्य गंभीर प्रकृति का कदाचार है।

उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख से स्पष्ट होता है कि :–

(i) श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' के आरोप सं0–2,3,4 एवं 5 संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है।

(ii) संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक 483 दिनांक 20.03.2018 द्वारा श्री सत्यदेव प्रसाद, तत्कालीन नाजिर से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। प्राप्त कारण–पृच्छा के जवाब पर विचारोपरांत जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा आदेश पारित किया गया है, इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

(iii) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह–भत्ता के देय नहीं होने संबंधी आदेश सही नहीं है, के संबंध में कहना है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम 10 (1) (iii) में अंकित है कि *''सरकारी सेवक केवल उसी अवधि के लिये जीवन–निर्वाह–भत्ता पाने का हकदार होगा जब निलंबन अवधि के दौरान वह मुख्यालय में वास्तव में उपस्थित रहा हो। उससे ऐसे सरकारी सेवकों के लिये बनायी गयी उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की अपेक्षा की जायेगी।''* इस प्रकार जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा इस संबंध में पारित आदेश नियमानुकूल प्रतीत होता है।

(iv) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता का मामला बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के अंतर्गत **नही आता**, के संबंध में कहना है कि बिहार पेंशन नियमावाली, 1950 के नियम 43 (ख) जो शुद्धि पत्र सं0–73 दिनांक 10.06.1960 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, में अंकित है कि :–

''राज्य सरकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस लेने का अधिकार है चाहे स्थायी रूप में या विशिष्ट अवधि के लिए। यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही में पता चले कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची है, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है;''

श्री प्रसाद के विरूद्ध रोकड़ पंजी पर प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं करवाना, सरकारी राशि का गबन करना, इन्दिरा आवास के लाभुकों के नाम में छेड़–छाड़ करना आदि का प्रमाणित आरोप है, जो ***बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका 3 (i)*** के प्रतिकूल है।

अतएव जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 438 दिनांक 01.04.2019 यथासंशोधित आदेश ज्ञापांक 1285 दिनांक 11.12.2020 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए श्री प्रसाद, तत्कालीन नाजिर सम्प्रति सेवानिवृत के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL